

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

## कार्यालय आदेश

श्रीमान वरिष्ठ शासन उप सचिव स्कूल शिक्षा (ग्रुप 5) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक: 9 (1) शिक्षा-5/14 जयपुर दिनांक 16.04.2014 एवं निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा-राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक: शिविरा/प्रार/शैक्षिक/सीएफ/19626/मूल मान्यता/13-14 दिनांक 4.4.2014 की अनुपालना में माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, तिलक नगर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत निर्धारित शुल्क राशि एवं दस्तावेज तथा निरीक्षण अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर संस्था का नाम परिवर्तन कर श्री माहेश्वरी उच्च प्राथमिक विद्यालय, तिलक नगर, जयपुर के नाम से संचालन करने एवं अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ (कक्षा 1 से 8 तक) हिन्दी माध्यम से भी अध्यापन कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अनिवार्य एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, तिलक नगर के पोर्टल में उपरोक्तानुसार नाम संशोधन करवा लिया जावे तथा हिन्दी माध्यम के अन्तर्गत पृथक से डाईस बुक भरकर विभाग को प्रस्तुत की जावे।

संस्था को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 की पालना करनी होगी। शेष शर्तें पूर्ण आदेशानुसार ही होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

क्रमांक: जिशिअ/प्राशि/जय/सा 5/फा-परिवर्तन/2014/ 04

दिनांक : 23.4.14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- 1 श्रीमान वरिष्ठ शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप 5) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2 श्रीमान निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
- 3 सम्बन्धित व्त्ताक शिक्षा अधिकारी.....
- 4 संस्था सचिव, श्री माहेश्वरी उच्च प्राथमिक विद्यालय, तिलक नगर, जयपुर
- 5 रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

*Ashok Kumar Falor*  
(Ashok Kumar Falor)  
(Ashok Kumar Falor)  
Secretary  
Shri Maheshwari Sr. Sec. School, Jaipur

*Kamal Kishore Saboo*  
मानदसचिव  
श्री माहेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालय  
जयपुर-302004

*Kamal Kishore Saboo*  
**Principal**  
Shri Maheshwari Sr. Sec. School  
Vijay Path, Tilak Nagar, JAIPUR

*Kamal Kishore Saboo*  
**(Kamal Kishore Saboo)**  
Hon. Secretary  
Shri Maheshwari Sr. Sec. School  
Vijay Path, Tilak Nagar, Jaipur

(नियम 8 क का उपनियम-4) देखिए)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर, राजस्थान  
क्रमांक:- जिशिअ/प्राशि/जय/सा-5/फा-मान्यता/जयपुरपूर्व/549 /2012 दिनांक 18.3.2015

संस्था सचिव  
दी एज्यूकेशन कमेटी ऑव् दी माहेश्वरी समाज (सोसायटी), जयपुर

विषय :- नियम 8-क के उपनियम-4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।  
संदर्भ :- जिशिअ/प्राशि/जय/सा-5/फा-मान्यता/जयपुरपूर्व/0167/2012 दिनांक 06.10.2012 के क्रम में।


संस्था द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रार्थना पत्र दिनांक ..... के क्रम में निर्धारित मापदण्ड पूर्ति एवं अक्षेपों की पूर्ति के आधार पर पूर्व आदेशों को संशोधन कर विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर संस्था श्री माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर को 01.04.2012 से कक्षा प्रथम से 8 तक के लिए स्थायी मान्यता मंजूर करता हूँ।


उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी :-

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा-8 से आगे मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस पडौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से संबंधित बालको को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करावेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों का राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।


  
Principal

Shri Maheshwari Sr. Sec. School  
Vijay Path, Tilak Nagar, JAIPUR

  
मान्यता सचिव

  
(Rajal Kishore Saboo)

Hon. Secretary  
Shri Maheshwari Sr. Sec. School  
Vijay Path, Tilak Nagar, Jaipur

  
(Ashok Kumar Fabor)

6. विद्यालय आयु के सबुत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि:

1. विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
2. कोई बालक शारिरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन का पात्र नहीं होगा:
3. किसी बालक से उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा:
4. प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा-अधिकथित प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा :
5. 2009 के अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियोग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों के सम्मिलित किया जाये :
6. अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाये:

परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं, वे 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

7. अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं: और
8. अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।
7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेंगे।
8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार है :- (संस्था के द्वारा प्रस्तुत स्व घोषणा पत्र-प्रपत्र 1 के अनुसार)

- विद्यालय परिसर का क्षेत्र
- कुल निर्मित क्षेत्र
- खेल-कूद के मैदान का क्षेत्र
- कक्षा के कमरों की संख्या
- प्रधानाध्यापक एवं कार्यालयों एवं भंडार कक्ष
- लड़के और लड़कियों के लिए पृथक-पृथक शौचघर

*Jamal*

मानद सचिव  
श्री माहेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालय  
जयपुर-302004

*Kamal Kishore Saboo*


Principal  
Shri Maheshwari Sr. Sec. School  
Vijay Path, Tilak Nagar, JAIPUR

*Ashok Kumar Falor*  
(Ashok Kumar Falor)  
Secretary

Shri Maheshwari Sr. Sec. School, Jaipur  
(Kamal Kishore Saboo)  
Hon. Secretary  
Shri Maheshwari Sr. Sec. School  
Vijay Path, Tilak Nagar, Jaipur

- पीने के पानी की सुविधा
  - मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई
  - अवरोध मुक्त पहुंच
  - अध्यापन विज्ञता सामग्री/खेल-कूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता
9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जाएगी।
  10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कोशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
  11. विद्यालय, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
  12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
  13. किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।
  14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या (RJ/BEE0/EAST/JPR/2012-13/0235/ दि.....) हैं।
  15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/ जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जायें।
  16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
  17. अन्य शर्तों संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है।

  
**Principal**  
 Ashok Kumar Feltor  
 Shri Maheshwari Sr. Sec. School  
 Vijay Path, Tilak Nagar, JAIPUR  
 Secretary  
 Shri Maheshwari Sr. Sec. School, Jaipur

  
**(Kamal Kishore Saboo)**  
 Hon. Secretary  
 Shri Maheshwari Sr. Sec. School  
 Vijay Path, Tilak Nagar, Jaipur  
 जिला शिक्षा अधिकारी  
 प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर